

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 543 / 14
 संस्थापन दिनांक:-25 / 08 / 14
 फाईलिंग नं. 233504005242014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. भादू पिता नेपाल धाकड़, उम्र 51 वर्ष
2. धीरज पिता भादू धाकड़, उम्र 19 वर्ष
3. लल्लू पिता भादू धाकड़, उम्र 22 वर्ष
 सभी निवासी अंधारिया,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 07.03.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.08.2014 के समय दिन 03:00 बजे या उसके लगभग दिनेश के मकान के पीछे ग्राम अंधारिया थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी फूलवंती को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी फूलवंती को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.08.2014 को दिन में उसके लड़के को देखने के लिए गांव में पैदल जा रही थी। तभी अभियुक्त भादू ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर कहा कि मादरचोद तू यहां से कहां जा रही है। फरियादी द्वारा अभियुक्त भादू को गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त धीरज एवं लल्लू भी आ गये और दोनों ने भी उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त भादू ने उसे लकड़ी से कमर में दाहिने तरफ एवं बांये हाथ की अंगुलियों के पास मार जिससे उसे चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के

विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 19/14 पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध क्र. 594/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त भादू से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी फूलवंती को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 फूलवंती (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे गाली दी जाना बताया है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 फूलवंती (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय उसे गाली दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 फूलवंती (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा उसे ज्यादा करेगी तो जान से मार देंगे की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी फूलवंती (अ.सा.-3) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने उसे घटना के समय ज्यादा करेगी तो जान से मार देंगे की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 फूलवंती (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त भादू ने उसे डंडे से कमर पर मारा था तथा अभियुक्त धीरज, लल्लू और भादू ने मिलकर उसे मारा पीटा और घसीटा था जिससे उसे कमर, हाथ की अंगुली और सीने में चोट आयी थी। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उसने थाने में रिपोर्ट की थी और उसका मेडिकल मुलाहिजा भी हुआ था।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 03.08.2014 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत फूलवंती का परीक्षण किये जाने पर आहत के बांये हाथ की मध्य अंगुली पर 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द, दाहिनी कलाई के जोड़ पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच का निशान एवं दाहिनी जांघ पर 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-9) को प्रमाणित किया है।

10 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 03.08.2014 को चौकी बोड़खी में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेख कराये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 19/14 में (प्रदर्श प्री-6) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना एवं थाने से असल अपराध क्र. 594/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल जाकर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-7) एवं दिनांक 07.08.2014 को अभियुक्त भादू से एक बांस की लकड़ी जप्त कर (प्रदर्श प्री-2) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्तगण भादू, धीरज एवं लल्लू को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी के कथनों में पर्याप्त विसंगति है जिससे अभियोजन कथा को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी जोगेंदर उर्फ जाली धाकड़ (अ.सा.-1), हेमराज (अ.सा.-2), आशा (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। यद्यपि साक्षी आशा (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसे बाद में पता चला था कि फरियादी फूलवंती का किसी से झगड़ा हुआ है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त तीनों साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य अपने कथनों में प्रकट नहीं किये हैं परंतु यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। अतः मात्र स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला धराशयी नहीं हो जाता है। अभिलेख पर मात्र फरियादी फूलवंती (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक फरियादी की एकल असंपुष्ट साक्ष्य का प्रश्न है। इस संबंध में **साक्ष्य अधिनियम की धारा 134** में स्पष्टतः वर्णित है कि— *किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए*

साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465** अवलोकनीय है जिसमें यह प्रति पादित किया है कि — **एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है।** अतः फरियादी फूलवंती (अ.सा.-3) के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों से अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है अथवा नहीं।

13 फूलवंती (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय अपने घर से अपने बेटे को देखने के लिए मैदान तरफ जा रही थी तभी सामने से अभियुक्त भादू चला आ रहा था। उसने एकदम से डंडा निकाला और उसकी कमर पर मार दिया। अभियुक्त भादू के साथ उसके दोनों लड़के अभियुक्त धीरज और लल्लू भी थे। तीनों ने मिलकर उसे मारा पीटा और घसीटा था जिससे उसे कमर, हाथ की अंगुली और सीने में चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके भाई के विरुद्ध चोरी का प्रकरण चला था। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त धीरज और लल्लू बाद में न आकर तीनों अभियुक्तगण साथ में आये थे। पैरा क. 04 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना का बीच बचाव उसकी भाभी आशा ने किया था। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण ने भी उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट की थी और उस संबंध में पुलिस ने उससे पूछा था कि तुमने अभियुक्तगण से लड़ाई झगड़ा क्यों किया था। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि उसके उपर भी केस चला था।

14 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक को अभियुक्त भादू ने फरियादी की लकड़ी से कमर में और अंगुलियों में मार दिया था तथा घटना में बीच बचाव उसकी भाभी आशा ने किया था। इस प्रकार अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त लल्लू और धीरज ने फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की। जबकि फरियादी ने न्यायालयीन परीक्षण में तीनों अभियुक्तगण के द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है। साथ ही फरियादी ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट से कमर, हाथ की अंगुली और सीने में चोट आना बताया है। जबकि फरियादी के चिकित्सकीय परीक्षण में उसकी अंगुली, दाहिनी कलाई में एवं दाहिनी जांघ पर चोट पायी गयी है। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट तत्काल पश्चात लेख करायी गयी है जिसमें उसने अभियुक्त भादू के द्वारा कमर पर लकड़ी से मारा जाना बताया है परंतु आहत के तत्काल पश्चात हुए चिकित्सकीय परीक्षण में उसके बताये गये स्थान पर चोट नहीं पायी गयी है।

15 बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में स्वयं अभियुक्त भादू (ब.सा.-1) को बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। साथ ही अन्य दो बचाव साक्षी कोमल (ब.सा.-2) एवं बसंतराम (ब.सा.-3) को परीक्षित कराया गया है। भादू (ब.

सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी के भाई ने घटना के लगभग एक साल पहले उसके पर्स से रुपये निकालकर चोरी की थी जिसकी उसने रिपोर्ट की थी। इसी कारण से फरियादी उससे नाराज रहती है। कोमल (ब. सा.-2) एवं बसंतराम (ब.सा.-3) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी के भाई ने अभियुक्त भादू के जेब से पैसे निकाल लिये थे जिसकी रिपोर्ट भादू ने की थी। साक्षियों ने यह भी बताया है कि फरियादी गांव में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहती है। भादू (ब.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि फरियादी के भाई द्वारा चोरी किये जाने की घटना वर्तमान घटना से एक वर्ष पहले की है। बचाव साक्षी भादू ने स्वयं द्वारा एवं अपने बेटे धीरज एवं लल्लू के द्वारा फरियादी की मारपीट किये जाने की बात को गलत बताया है। कोमल (ब.सा.-2) एवं बसंतराम (ब.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह सही होना बताया है कि उनके अभियुक्तगण से मधुर संबंध हैं।

16 कोमल (ब.सा.-2) एवं बसंतराम (ब.सा.-3) ने अपने कथनों में अभियुक्त भादू के द्वारा फरियादी के भाई की चोरी की रिपोर्ट किये जाने के संबंध में बताया है जो कि वर्तमान घटना से एक वर्ष पुरानी घटना है। अतः फरियादी द्वारा लेख करायी गयी रिपोर्ट के संबंध में उपर्युक्त दोनों बचाव साक्षियों के कथनों से किसी भी प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वयं भादू (ब.सा.-1) ने भी फरियादी के भाई के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट लेख कराये जाने की बात बतायी है और अपने कथनों से यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि उसे मात्र इसी बात पर से रंजिश होने की बात पर से झूठा फंसाया गया है परंतु लगभग एक वर्ष पुरानी घटना की बात पर से फरियादी द्वारा इतने लंबे अंतराल में अभियुक्तगण की मात्र रंजिश के आधार पर शिकायत किये जाने की संभावना अस्वाभाविक प्रतीत होती है।

17 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है और फरियादी ने रंजिश के कारण ही अभियुक्तगण को झूठा फंसाया है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में फरियादी ने न्यायालयीन परीक्षण में घटना के पूर्व से ही अभियुक्तगण से बातचीत न होना बताया है। साथ ही फरियादी ने अभियुक्तगण की रिपोर्ट पर से उसके विरुद्ध भी केस चलना बताया है। इस प्रकार उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य स्थापित है परंतु रंजिश के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश मारपीट का हेतुक भी हो सकता है और फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। साथ ही लगभग एक वर्ष पुरानी घटना को लेकर उस रंजिश के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट की जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है इसलिए रंजिश एवं बचाव साक्षियों के कथनों से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18 फरियादी फूलवंती (अ.सा.-3) के द्वारा न्यायालयीन परीक्षण में अभियोजन कथा से हटकर कथन किये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में

अभियुक्त धीरज एवं लल्लू के द्वारा फरियादी की मारपीट किये जाने का उल्लेख नहीं है परंतु न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी ने अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हुए अभियुक्त धीरज एवं लल्लू के द्वारा भी मारपीट किया जाना बताया है। यदि तीन व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को मारे और उसके शरीर पर मात्र मामूली से चोटें पायी जाये ऐसा अस्वाभाविक प्रतीत होता है। फरियादी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित नहीं है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी फूलवंती को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी फूलवंती को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण भादू, धीरज एवं लल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए द.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

21 प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

22 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

